

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक/डी/2160/1368/2007/10-3

भोपाल, दिनांक 18 जून, 2007

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्य प्रदेश, भोपाल ।

विषय:- वनमार्ग के उपयोग के लिये वनमार्ग शुल्क का निर्धारण ।

सन्दर्भ:- आपकी टीप क्रमांक/निर्व/काष्ठ/130 दिनांक 3.4.07.

----0----

वन विभाग के नियंत्रण में विभिन्न जिलों में अनेक वनमार्ग संचालित हैं, जिनका उपयोग वनोपज के परिवहन के साथ-साथ अन्य उपयोग के लिये भी किया जाता है । इस विभाग के पत्र क्रमांक/937/10/3/2000 दि. 22.2.2000 को अधिक्रमित करते हुए वनमार्ग के उपयोग के लिये 20 (बीस) रूपये प्रति ट्रिप या रूपये 400 (चार सौ) प्रति ट्रक प्रति तिमाही की दर से वनमार्ग शुल्क अधिरोपित किया जाता है । यह शुल्क शासकीय वाहनों पर लागू नहीं होगी ।

2/- उपरोक्त दरें दिनांक 1 जुलाई, 2007 से लागू की जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मीनाक्षी मालवीय)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग